

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 117/2024 (धारा 14 शिक्थोरिटाईजेशन)
एडलवेस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, द्वितीय तल, प्लॉट नम्बर 100, वैशाली मार्ग, वैशाली
नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. रेखा मोकम सिंह पुत्री मोकम सिंह
पता :- प्लॉट नं. जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. 53, राजेन्द्र नगर, निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर।
2. मोकमसिंह पुत्र प्रभु सिंह
पता :- प्लॉट नं. जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. 53, राजेन्द्र नगर, निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर।
3. अंगुरी देवी पत्नी मोकम सिंह पुत्र प्रभु सिंह
पता :- प्लॉट नं. जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. 53, राजेन्द्र नगर, निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर।
4. राकेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद
पता :- सी-111, शंकर कॉलोनी, 4-सी, न्यु लोहामंडी रोड, जयपुर
एवं प्लेट नं. जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. 53, राजेन्द्र नगर, निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर।
5. लक्ष्मी देवी पत्नी श्री दुर्गा दत्त मिश्रा
पता :- सी-111, शंकर कॉलोनी, 4-सी, न्यु लोहामंडी रोड, जयपुर
एवं प्लेट नं. जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. 53, राजेन्द्र नगर, निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री विकास मैसी, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 11.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 30.07.2018 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी रेखा पुत्री श्री मोकम सिंह के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर 53, राजेन्द्र नगर, निवारु रोड, जयपुर पर स्थित प्लेट नम्बर जी-2, ग्राउण्ड फ्लोर क्षेत्रफल 850 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 15,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांकित 20.09.2021 से अप्रार्थी का ऋण खाता प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



- सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
 3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 15,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 15,88,623,63/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.07.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
 4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी रेखा पुत्री श्री मोकम सिंह के स्वामित्व की बन्धक संपत्ति प्लॉट नम्बर 53, राजेन्द्र नगर, निवारू रोड, जयपुर पर स्थित प्लेट नम्बर जी-2, ग्राउण्ड प्लोर क्षेत्रफल 850 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु आशुन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल आदेश आज दिनांक 11.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर